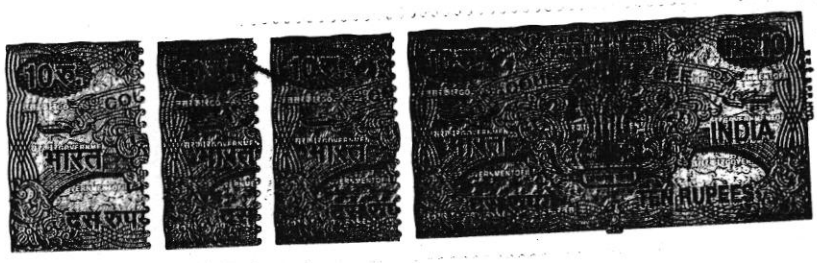

(105)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महो, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग. प्र.क्रं.– I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/1774 सन् 2017

बखत सिंह तनय श्री करन सिंह ठाकुर निवासी
ग्राम गठेवरा, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामस्वरूप सिंह s/o मुन्ना सिंह मृत
2. मुन्नी उर्फ रामकुंवर पुत्री रामस्वरूप सिंह
3. माया
4. सुमन
5. रीना
6. शीता

पुत्री श्री रामस्वरूप सिंह समस्त निवासी ग्राम- खरेला तह० चरखारी जिला-महोबा (उ०प्र०)

अ माननीय न्यायालय के आदेश पंजिका दि. 22-11-17 के पालन मे अना.क्र. 1 मृत का नाम काम किया। 20-12-17

.... गैरनिगरानीकर्तागण / उत्तरवादीगण

7. शासन म.प्र.

श्री मुकेश भार्गव, एडवो
द्वारा आज दि. 16-6-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
16-6-17 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. राजस्व संहिता
निगरानी विरूद्व प्र.क्रं. 55/अ–6/14–15 आदेश दिनांक 12.06.2017 तहसीलदार छतरपुर (म.प्र.) बखत सिंह तनय श्री करन सिंह ठाकुर

महोदय,

निगरानीकर्ता बखत सिंह तनय श्री करन सिंह ठाकुर निवासी ग्राम गठेवरा, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) का हूँ जो कि निम्नलिखित निगरानी सादर पेश करता हूँ कि :–

–:: निगरानी के तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा भूमि ख.नं. 1088,1089,1090,1091, 1092/1,1092/2, 1103, 1104,1634/1, 1491, 1499, 1500, 1501, 1502, 1524, 1525, 1530, 1477, 1482, 1817,1828, 1829, 1824, 1825, 1826, 1748/2 1752/4, 1661/1 स्थित ग्राम गठेवरा, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. का बसीयत के आधारा पर नामान्तरण हेतु आवेदन योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरपु के यहां प्र.क्रं. 55/अ–6/2014–15 के तहत पेश किया था, जिसमें आवेदक ने अपनील स्वयं की साक्ष्य एवं बसीयत के साक्षियो के शपथ पत्र योग्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये थे किन्तु बाद में आपत्तिकर्ता उपस्थित हुऐ उनके द्वारा आपत्ति पेश की गई व प्रकरण को बिलबित किया जिससे प्रकरण के प्रचलन दौरा ही बसीयत के साक्षी खिल्लू पटेल की मृत्यु हो गई एवं दूसरा साक्षी कल्लू खॉ बीमा हो गया है योग्य अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा साक्षी कल्लू खॉ की बीमारी के संबंध में डॉक्टर के पर्चे एवं सी.टी स्क्रीन पेश किया फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने ढ़ग से आवेदक का साक्ष्य का अवसर दिनांक 12.6.17 व समाप्त कर दिया गया है जिससे दुखित होकर निगरानी कर्ता निम्नलिखित ठोस ए सुढ़ढ़ आधारो पर निगरानी सादर पेश करता है कि :–

नि० 38
बखत

क्रंमश : .... 2 पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/1774 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/1/18	प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रश्नाधीन भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया। जिस पर कई बार अवसर प्रदाय करने के बाद आदेश दिनांक 12.06.2017 द्वारा आवेदक का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही चल रही है उसमें साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवसर समाप्त करने का आदेश दिया है जो न्यायसंगत नहीं है । आवेदक द्वारा जान बूझकर प्रकरण में विलंब नहीं किया जा रहा है । अंत में उनके द्वारा साक्ष्य का अवसर दिए जाने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया । 3/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि में कोई हित नहीं है। अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी के विधिक वारिसान हैं। आवेदक का कोई रिश्ता नहीं है । आवेदक द्वारा बताई जा रही वसीयत फर्जी है । सी.पी.सी. में हुए संशोधन के अनुसार 3 अवसर से ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 14 अवसर दिये गये हैं। आवेदक जानकबूझकर प्रकरण का निराकरण नहीं होना देना चाह रहे हैं। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से तथा	

XXXIX(a)-BR(H)-11

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आलोच्य आदेश को देखने से यह पाया जाता है कि आवेदक को इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है एक वर्ष से अधिक समय तक 14 अवसर दिए जाने के उपरांत भी आवेदक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने के निर्देश देने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से यह निगरानी निरस्त की जाती है । **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य** **राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,** **ग्वालियर**	